संख्या-9/2016/432/63-व0उ0-2016-117(एच)/07टी0सी0

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2016**

विषय:- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना के "विपणन प्रोत्साहन" मद में वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के दावों के सापेक्ष इटावा परिक्षेत्र की 102 बुनकर सहकारी समितियों/संस्थाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-330/विपणन प्रोत्साहन/जॉच/2015-16, दिनांक 21.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना के "विपणन प्रोत्साहन" मद में वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के दावों के सापेक्ष इटावा परिक्षेत्र की 102 बुनकर सहकारी समितियों/संस्थाओं हेतु प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष सतर्कता विभाग की हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन से प्रकरण में जॉच कराने विषयक संस्तुति के क्रम में जॉच कराने हेतु गठित की गई क्रमशः त्रिस्तरीय जॉच समिति, मुख्य विकास अधिकारी, इटावा एवं वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर की जॉच रिपोर्टों तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर की उक्त पर प्राप्त संस्तुति के सम्यक परीक्षणोपरान्त इटावा परिक्षेत्र की एकीक़त हथकरघा विकास योजनान्तर्गत "विपणन प्रोत्साहन" योजना की प्रचलित जॉच समाप्त करते हुए योजनान्तर्गत "विपणन प्रोत्साहन" मद की इटावा परिक्षेत्र की 102 समितियों/संस्थाओं के पक्ष में धनराशि **रू0 10,00,35,600.00 (रूपया दस करोड़, पैंतीस हजार, छह सौ मात्र)** की स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जा सकेगी।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीयकृत हथकरघा विकास योजना-27 सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-432(1)/63-व0उ0-2016-117(एच)/07टी0सी0, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, अशोग मार्ग, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in